मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल, 2011 (चैत्र 11, 1933)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री अजय सिंह, सदस्य, इंदौर जिले की महू तहसील के ग्रामों की उपजाऊ भूमि आवासीय कालोनी हेतु अधिग्रहीत किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री बृजेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के निवाड़ी तहसील स्थित मंदिर के पास खनिज उत्खनन से पेयजल प्रदूषित होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री आरिफ अकील, सदस्य, सीहोर जिले के इछावर तहसील अन्तर्गत शासकीय राशि व सांसद निधि का दुरुपयोग होने की ओर योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री विजेन्द्र सिंह मलाहेड़ा (विज्जू बना), रामनिवास रावत, सदस्य, भिण्ड जिले में सरपंचों को पंचायत अधिनियम के तहत नोटिस जारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य, भोपाल नगर में चल रहे निर्माण कार्यों से वाहन दुर्घटनाएं होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.), डॉ. निशिथ पटेल, श्री संजय पाठक, सदस्य, प्रदेश के विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को गणवेश एवं साईकिल का वितरण न कर नगद राशि दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री अजय यादव, सदस्य, टीकमगढ़ जिले में रेत का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर राज्य मंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, सदस्य, धार जिले के ग्राम तिलगारा में दुर्घटना से कई व्यक्तियों की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्रीमती साधना स्थापक, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम पंचायत बसुरिया में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(10) श्री आत्माराम पटेल, सदस्य, खरगौन जिले में फर्जी वित्त कंपनियों द्वारा लोगों के साथ धोखाधड़ी किये जाने की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य, मंदसौर जिले के ग्राम नौगांव के कृषकों को रसोई गैस उपलब्ध न कराये जाने की ओर राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री भगवान सिंह राजपूत, सदस्य, रायसेन जिले के पिपरिया रोड़ पर सड़क दुर्घटना में चार मजदूरों की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री रामलाल मालवीय, सदस्य, देवास जिले के नगर पंचायत पीपलराव के आरक्षित वर्ग के अध्यक्ष का पद सामान्य वर्ग से भरे जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) श्री परसराम मुदगल, सदस्य, मुरैना जिले के जौरा में एक व्यक्ति की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) सर्वश्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, आरिफ अकील, सदस्य, मंदसौर जिले में जिस्मफरोशी के लिये बालिकाओं का अपहरण किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल विकास योजना के प्रारूप का प्रकाशन न होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ में सिंधी परिवारों के मकान तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, श्री संजय पाठक, सदस्य, मध्यप्रदेश महिला वित्त विकास निगम के अन्तर्गत तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में अनियमितता किये जाने की ओर राज्यमंत्री महिला एवं बाल विकास का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य, भोपाल स्थित महाविद्यालयों में कश्मीरी छात्रों को प्रवेश से आतंकी हमलों की शंका होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, दतिया स्थित वेयर हाऊस के गोदाम से खाद, बीज गायब होने से उत्पन्न स्थिति की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) सर्वश्री यादवेन्द्र सिंह, अजय यादव, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम खरों में बेरोजगार कृषक द्वारा परिवार सहित आत्महत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, खाचरौद स्थित उप कोषालय से मूर्ति गायब होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य, सागर संभाग की कृषि उपज मंडियों में कृषि उपज की नीलामी न होने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास कार्य योजना में गैस पीड़ितों के साथ भेदभाव किये जाने की ओर भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य, इंदौर में बनी सलाईन के उपयोग से कई लोगों की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) श्री आरिफ अकील, सदस्य, गैस पीड़ित बस्तियों में पेयजल हेतु आवंटित राशि का दुरूपयोग किये जाने की ओर भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) श्री बृजराज सिंह, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम नयापुरा निवासी आदिवासी की भूमि को शासकीय भूमि के पट्टे निरस्त किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(28) डॉ. कल्पना परुलेकर, श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य, प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में मोबाईल टॉवरों से निकलने वाली रेडियो एक्टिव विकिरण से गंभीर बीमारी फैलने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(29) श्री अरूणोदय चौबे, सदस्य, सागर जिले के वन परिक्षेत्र मालथौन अंतर्गत जल संरक्षण कार्य बंद किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(30) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य, रामगंज मंडी-भोपाल रेल लाईन हेतु अधिगृहीत भूमि का मुआवजा न दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(31) श्री रणवीर सिंह जाटव, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.), सदस्य, भिण्ड जिले के मालनपुर स्थित केडबरी इंडिया लिमिटेड में कार्यरत श्रमिक के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(32) श्री श्रीकांत दुबे, सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम द्वारा कृषकों की उपज का भुगतान न किये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(33) श्री पांचीलाल मेड़ा, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भोपाल में घटिया एवं कम तौल के सीमेंट की बिक्री से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(34) श्री पारस दादा, सदस्य, रतलाम जिले में आदिवासियों की जमीन की बिक्री किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(35) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, धार जिले के सरदारपुर में जाति प्रमाण पत्र न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(36) डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य, खंडवा जिले के पंधाना निवासी सूदखोरों पर पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने से कृषक द्वारा आत्महत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(37) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सदस्य, मंडला जिले से रेत का उत्खनन कर परिवहन में गड़बड़ी किये जाने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(38) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य, बैतूल जिले के ससुद्रा पर स्थित परिवहन बैरियर पर अवैध वसूली किये जाने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(39) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य, इंदौर-खण्डवा राजमार्ग पर पुल की जर्जर हालत से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(40) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा), सदस्य, बालाघाट-गोंदिया राजमार्ग पर परिवहन हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(41) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू", सदस्य, शिवपुरी जिले के खनियाधाना नगर पंचायत में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को वेतन न मिलने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(42) श्री आरिफ अकील, सदस्य, लाईफ लाईन के नाम से मशहूर कोलार पाईप लाईन, नगर निगम के कुप्रबंधन के कारण बार-बार फूटने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(43) श्री यादवेन्द्र सिंह, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री अजय यादव, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के पुरैनिया तालाब के ठेके देने में अनियमितता किये जाने की ओर मछली पालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(44) श्री शंकरलाल तिवारी, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य, सतना जिले के ग्राम पंचायत चोरहटा के सरपंच द्वारा जे.सी.बी. मशीन से कार्य कराये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(45) श्री रामकिशोर (नानो) कांवरे, सदस्य, बालाघाट जिले के परसवाड़ा क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों की मजदूरी का भुगतान न किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(46) सर्वश्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, रामनिवास रावत, सदस्य, ग्वालियर में अतिक्रमण के नाम पर तोड़फोड़ किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(47) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल में अपंजीकृत पैथोलाजी एवं क्लिनिक संचालित होने की ओर लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(48) श्री संजय पाठक, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम बनगवां में अनुसूचित जाति की महिलाओं एवं सरपंच को अपमानित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(49) सर्वश्री शांतिलाल धबाई, रामलाल मालवीय, सदस्य, उज्जैन जिले के बड़नगर एवं घट्टिया क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित न किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(50) श्रीमती इमरती देवी, सदस्य, डबरा में एक समुदाय विशेष के लोगों पर प्रकरण कायम किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(51) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य, छतरपुर जिले के चंदला स्थित विद्यालय प्रांगण में अतिक्रमण होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(52) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के पटवारी हल्का सुमरेरा के आदिवासियों की जमीन का फर्जी पट्टा दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(53) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य, पिपलौदा से एक युवक का अपहरण होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(54) श्री पुरुषोत्तम दांगी, सदस्य, भारत ओमान रिफायनरी से निकले अपशिष्टों को खेतों में डाले जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(55) श्री मदन कुशवाह, सदस्य, ग्वालियर के ग्राम बेहट में एक महिला की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(56) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू", सदस्य शिवपुरी जिले के ग्राम तेरई में एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्य राजगढ़ जिले के -
- (क) ग्राम चांदूखेड़ा में पशु चिकित्सालय खोले जाने,
- (ख) ग्राम किला अमरगढ़ में पशु चिकित्सालय खोले जाने,
- (ग) ग्राम चांदूखेड़ा में पुलिस चौकी खोले जाने, तथा
- (घ) ग्राम सड़ियाकुआं में पुलिस चौकी खोले जाने,

(2) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य, दमोह जिले के -
- (क) ग्राम पटेरा में सी.सी. रोड निर्माण किये जाने,
- (ख) ग्राम बमुरिया में विद्युत सब स्टेशन बनाये जाने, तथा
- (ग) ग्राम देवरागढ़ी में सड़क निर्माण कराये जाने,

(3) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य, ग्वालियर नगर के -
- (क) शब्द प्रताप आश्रम में स्थित सिविल डिस्पेन्सरी के भवन का जीर्णोद्धार कराये जाने,
- (ख) वार्ड क्रमांक-3 फर्राश खाना घोसीपुरा में स्थित मदरसा में अतिरिक्त कमरों का निर्माण किये जाने, तथा
- (ग) बाबा कपूर से लधेड़ी तक सड़क निर्माण किये जाने,

(4) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा, सदस्य देवास जिले के -
- (क) ग्राम कावड़ा से ग्राम जलोदिया तक सड़क निर्माण किये जाने,
- (ख) ग्राम दौलतपुरा से खरसी तक सड़क निर्माण किये जाने,
- (ग) ग्राम बीसाखेड़ी से ढाबला तक सड़क निर्माण किये जाने,
- (घ) ग्राम बाबई से ग्राम बोरखेड़ा तक सड़क निर्माण किये जाने, तथा
- (ङ) सोनकच्छ से ग्राम खरपड़ी तक सड़क निर्माण किये जाने,

(5) श्री अरविन्द सिंह भदौरिया, सदस्य, भिण्ड जिले के -
- (क) विकासखण्ड अटेर के ग्राम कमई कापुरा, दिनपुरा, मघारा, हिम्मतपुरा, खिपोना, सालिगपुरा, समन्ना एवं सांकरी में हैण्डपंप खनन किये जाने, तथा
- (ख) शासकीय प्राथमिक शाला फूप को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(6) श्री लालजी राम मालवीय, सदस्य, शाजापुर जिले के -
- (क) ग्राम तनौदिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा
- (ख) ग्राम सुदवास में पुलिया निर्माण किये जाने,

(7) श्री पारस दादा, सदस्य, भोपाल नगर के नरेला स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का महाविद्यालय में उन्नयन किये जाने,

(8) श्री गिरिराज किशोर (राजू) पोद्दार, सदस्य, कटनी जिले के ग्राम पोसरा के शासकीय माध्यमिक शाला का उन्नयन किये जाने,

(9) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद या इटारसी में ट्रामा सेन्टर खोले जाने, एवं

(10) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल नगर में नगर निगम द्वारा जल दर में वृद्धि किये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, राज्यमंत्री लोक सेवा प्रबंधन, मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 18 सन् 2011) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2011) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

2 घन्टे (3) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय विधेयक, 2011 (क्रमांक 3 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (4) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, राज्यमंत्री लोक सेवा प्रबंधन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 18 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (5) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 19 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

5. अशासकीय संकल्प

(1) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश के जिलों में पदस्थ वहां के मूल निवासी पटवारियों की पद स्थापनाएं उनके मूल निवास की तहसील में से अन्यत्र की जायें ".

(2) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू", सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. "सदन का यह मत है कि 250 से अधिक जनसंख्या वाले मजरे टोलों को ग्राम घोषित किया जाय ".

(3) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. "सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश में कृषि उपयोग की भूमि पर उद्योग स्थापित करने हेतु पूर्णतः पाबंदी लगाई जाये".

(4) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

15 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिये रेल में पृथक कोच की व्यवस्था कीजाय".

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 31 मार्च, 2011